न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
16(III) वाद संख्या–109 / 2012
बुच्ची लाल यादव बनाम कुशेश्वर यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
06/02/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदक बुच्ची लाल यादव, पे0–स्व0 देबु यादव, ग्राम–अलीनगर टोले जगमणी, थाना–बहेड़ा, अंचल–अलीनगर, जिला–दरभंगा की ओर से वकालतनामा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर द्वारा बिहार सिलिंग एक्ट 16(3) के अन्तर्गत वाद संख्या–02 / 10–11 में दिनांक–04.08.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय सें अभिलेख की मॉग की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के द्वारा पत्रांक–577 दिनांक–30.10.13 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। विपक्षी के सदस्य अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रतिउत्तर आवेदन दाखिल किया गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा विकय पत्र संख्या–10733 दिनांक– 31.12.10 के द्वारा प्रतिपक्षी सत्तन यादव से पुराना खाता संख्या–06, नया–1007 पुराना खेसरा संख्या–1039 नया–2174 की रकवा 6 धूर 10 धूरकी भूमि मो0–30000.00 रू0 विकय मुल्य अदा कर खरीद की गयी, जिसके सटे उत्तर अपीलकर्त्ता की नीजी भूमि है, दक्षिण विनोद यादव एवं अन्य की भूमि है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि केवाला में वर्णित चौहद्दी से ही स्पष्ट है कि केता / अपीलकर्त्ता एक छोटे से आवासीय टुकड़े के स्वयं समासन्न रैयत है। उक्त विकय पत्र के निष्पादन एवं निबंधन उपरांत प्रतिपक्षी प्रथम द्वारा भूमि सुधार	

उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के न्यायालय में दायर वाद संख्या–02/10–11 में केता/अपीलकर्त्ता अथवा उनके विकेता सत्तन यादव को कभी कोई सूचना प्राप्त नही हुई तथा एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया। जिस आवासीय भुखण्ड पर प्रतिपक्षी द्वारा संरचना का निर्माण कर आटा चक्की चलायी जा रही है उक्त भूमि को कृषि भूमि बताकर आवेदक (प्रतिपक्षी) के पूर्व क्रय के दावे को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त आदेश को विभिन्न बिन्दुओं पर चुनौती देते हुए स्पष्ट किया गया है कि याचित आदेश (Impugned Order) अपीलकर्त्ता को निम्न न्यायालय द्वारा सही रूप से बिना सूचित किये हुए तथा पक्ष रखने हेतु समय दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि बिक्री की गयी भूमि के सटे उत्तर विपक्षी का घर है, तथा बिक्री की गयी भूमि पर वर्त्तमान में झोपड़ी है जिसमें धान कुटने की चक्की आदि का मशीन रखा हुआ पाया गया है। फिर भी निम्न न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निस्तारण सर्वे खतियान में दर्ज पोखरा के खेसरा की भूमि मानकर तथा कृषि भूमि कहते हुए आवेदक के वाद आवेदन को स्वीकृत किया गया है, जो पूर्णतः एक पक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय है।

इस कार्यवाही के प्रतिपक्षी के रूप में प्रथम सदस्य के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता द्वारा वर्त्तमान अपील वाद तय सीमा के उपरांत दायर की गयी है। प्रतिपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष कृषि योग्य भूमि पर दायर लैण्ड सिलिंग वाद संख्या–02/10–11 में उपलब्ध तथ्यात्मक एवं स्थल निरीक्षण उपरांत स्पष्ट तथ्यों के आलोक में आदेश पारित किया गया है। केता एवं विकेता (विपक्षीगण) को निम्न न्यायालय द्वारा सूचना भेजे जाने के उपरांत विभिन्न तिथियों पर उपस्थित नही होने के बाद वर्त्तमान आदेश पारित

की गयी है, जो निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों के पूर्ण विश्लेषणोपरांत पारित आदेश है तथा इस न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य नही है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं विवादी भूमि से संबंधित केवाला एवं निम्न न्यायालय के आदेश अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया है कि तकरारी खेसरा में वर्णित चौहद्दी के रकवा ८ धूर 10 कनमा जमीन पर केतागण एक झोपड़ीनुमा फूस का जीर्ण शीर्ण घर खड़ा किया गया है, जिसमें आटा चक्की मिल लगाये जाने का उद्देश्य बताया गया है साथ ही इस भूमि के झोपड़ी में चावल मिल का कुछ उपकरण (Instrument) एवं बेस पाया गया है। विपक्षी भूमि के पूरब भाग में प्रतिपक्षी संख्या–01 का झोपड़ीनुमा फूस का घर है जिसके अतिरिक्त अन्य कोई आवासीय परिसर नही है।इस प्रकार स्पष्ट है कि पूर्व कय हेतु दावा की जाने वाली भूमि के टुकड़े पर संरचना निर्मित है तथा सड़क के सटे अवस्थित है तथा केवाला में दर्ज मुल्यांकन उक्त छोटे से रकवे को आवासीय प्रकृति होना दर्शाता है। ऐसी स्थितियों मे निम्न न्यायालय द्वारा बिना विवेचना अथवा कारण के इसे कृषि योग्य भूमि बता दिया जाना परिलक्षित होता है।

अतएव उपरोक्त परिस्थिति में मेरा समाधान होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटि पूर्ण है जिस कारण अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील वाद आवेदन को स्वीकार करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर द्वारा दिनांक–04.08.11 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।